रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02112026-277582
CG-DL-E-02112026-277582

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5696] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 30, 2026/कार्तिक 8, 1948
No. 5696] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 30, 2026/KARTIKA 8, 1948

संचार मंत्रालय
(डाक विभाग)
आदेश

नई दिल्ली, 30 अक्तूबर, 2026

का.आ. 5928(अ).— राष्ट्रपति, केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 9 के उप-नियम (2), नियम 12 के उप-नियम (2) के खंड (ख) और नियम 24 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, भारत सरकार के संचार मंत्रालय में डाक विभाग के आदेश संख्यांक 2454, तारीख 27 अगस्त, 1990 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है), जो भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में तारीख 15 सितंबर, 1990 को प्रकाशित हुआ था, में और संशोधन करने हेतु निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात् :-

उक्त आदेश की, अनुसूची में, भाग-1 और भाग 2 के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात् :-

"भाग 1 – साधारण केंद्रीय सेवाएं, समूह-'ख', राजपत्रित या अराजपत्रित

पद का विवरण	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्तियां अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी और शास्तियां (केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 11 में मद संख्या के निर्देश में) जो वे अधिरोपित कर सकते हैं।		अपीलीय प्राधिकारी
		प्राधिकारी	शास्तियां	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		महानिदेशक (डाक सेवाएं)	सभी (छोटी और बड़ी)	राष्ट्रपति

(1) डाक सेवा समूह 'ख'	महानिदेशक (डाक सेवाएं)	सदस्य (कार्मिक), डाक सेवा बोर्ड; या सर्कल प्रमुख या समतुल्य।	नियम 11 के खंड (i) से (iv) में विनिर्दिष्ट छोटी शास्तियां	महानिदेशक (डाक सेवाएं)
(2) सभी पद (समूह 'ख', राजपत्रित) डाक सेवा समूह 'ख' के सिवाय।	सर्कल प्रमुख	सदस्य (कार्मिक), डाक सेवा बोर्ड; या सर्कल प्रमुख या समतुल्य।	सभी (छोटी और बड़ी)	महानिदेशक (डाक सेवाएं) अथवा सदस्य (कार्मिक), डाक सेवा बोर्ड।
		उप महानिदेशक (कार्मिक) या निदेशक डाक सेवाएं (मुख्यालय) या पोस्टमास्टर जनरल या निदेशक डाक सेवाएं या समतुल्य।	नियम 11 के खंड (i) से (iv) में विनिर्दिष्ट छोटी शास्तियां	सदस्य (कार्मिक), डाक सेवा बोर्ड; या सर्कल प्रमुख या समतुल्य।
(3) समूह-'ख', अराजपत्रित।	निदेशक डाक सेवाएं (मुख्यालय)	उप महानिदेशक (कार्मिक) या निदेशक डाक सेवाएं (मुख्यालय) या पोस्टमास्टर जनरल या निदेशक डाक सेवाएं या समतुल्य।	सभी (छोटी और बड़ी)	सदस्य (कार्मिक), डाक सेवा बोर्ड; या सर्कल प्रमुख या समतुल्य।
		सहायक महानिदेशक (स्टाफ डाक अराजपत्रित (एसपीएन)) या सहायक निदेशक (स्टाफ) या सहायक पोस्टमास्टर जनरल (स्टाफ) या डिवीजन प्रमुख या स्वतंत्र यूनिट के प्रमुख या समतुल्य।	नियम 11 के खंड (i) से (iv) में विनिर्दिष्ट छोटी शास्तियां	उप महानिदेशक (कार्मिक) या निदेशक डाक सेवाएं (मुख्यालय) या पोस्टमास्टर जनरल या निदेशक डाक सेवाएं या समतुल्य।
(4) सभी पद (समूह 'ख', राजपत्रित) डाक सेवा समूह 'ख' के सिवाय [सिविल या इलेक्ट्रिकल विंग के लिए]	संबद्ध मुख्य अभियंता	संबद्ध मुख्य अभियंता	सभी (छोटी और बड़ी)	संबद्ध सदस्य
		अधीक्षण अभियंता	नियम 11 के खंड (i) से (iv) में विनिर्दिष्ट छोटी शास्तियां	संबद्ध मुख्य अभियंता
(5) समूह 'ख', अराजपत्रित डाक [सिविल या इलेक्ट्रिकल विंग के लिए]	संबद्ध अधीक्षण अभियंता	संबद्ध अधीक्षण अभियंता	सभी (छोटी और बड़ी)	संबद्ध मुख्य अभियंता
		संबद्ध कार्यकारी अभियंता	नियम 11 के खंड (i) से (iv) में विनिर्दिष्ट छोटी शास्तियां	संबद्ध अधीक्षण अभियंता

भाग 2 – साधारण केंद्रीय सेवाएं, समूह 'ग'

पद का विवरण	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्तियां अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी और शास्तियां (केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 11 में मद संख्या के संदर्भ में) जो वे अधिरोपित कर सकते हैं।		अपीलीय प्राधिकारी
		प्राधिकारी	शास्तियां	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1) समूह 'ग' [निम्न चयन ग्रेड (एलएसजी) सहित]	प्रभाग प्रमुख या सहायक पोस्टमास्टर जनरल (स्टाफ) या सहायक निदेशक (स्टाफ) या समतुल्य।	सहायक महानिदेशक (स्टाफ डाक अराजपत्रित (एसपीएन)) या डिवीजन प्रमुख या सहायक पोस्टमास्टर जनरल (स्टाफ) या सहायक निदेशक (स्टाफ) या ज्येष्ठ पोस्टमास्टर या समतुल्य।	सभी (छोटी और बड़ी)	निदेशक, डाक सेवाएं (मुख्यालय) या पोस्टमास्टर जनरल या निदेशक, डाक सेवाएं या समतुल्य।
(2) समूह 'ग' [सिविल या इलेक्ट्रिकल विंग के लिए]	संबद्ध अधीक्षण अभियंता या कार्यकारी अभियंता।	संबद्ध अधीक्षण अभियंता या कार्यकारी अभियंता	सभी (छोटी और बड़ी)	मुख्य अभियंता या अधीक्षण अभियंता
		संबद्ध अधीक्षण अभियंता या कार्यकारी अभियंता	नियम 11 के खंड (i) से (iv) में विनिर्दिष्ट छोटी शास्तियां	मुख्य अभियंता या अधीक्षण अभियंता
(3) समूह 'ग' [महाप्रबंधक (वित्त) या निदेशक लेखा (डाक) के कार्यालय हेतु]	निदेशक लेखा (डाक) या उप निदेशक लेखा (डाक)	निदेशक लेखा (डाक) या उप निदेशक लेखा (डाक)	सभी (छोटी और बड़ी)	महाप्रबंधक (वित्त) या निदेशक लेखा (डाक)
		लेखा अधिकारी	नियम 11 के खंड (i) से (iv) में विनिर्दिष्ट छोटी शास्तियां	महाप्रबंधक (वित्त) या निदेशक लेखा (डाक)
(4) पोस्टमेन और मेलगार्ड	प्रभाग प्रमुख अथवा समकक्ष।	प्रभाग प्रमुख या ज्येष्ठ पोस्टमास्टर या समतुल्य।	सभी (छोटी और बड़ी)	निदेशक, डाक सेवाएं (मुख्यालय) या पोस्टमास्टर जनरल या निदेशक, डाक सेवाएं या समतुल्य।
		उप प्रभाग प्रमुख या यूनिट प्रमुख (उच्च चयन ग्रेड I या उच्च चयन ग्रेड (गैर-कार्यात्मक ग्रेड)	नियम 11 के खंड (i) से (iv) में विनिर्दिष्ट छोटी शास्तियां	प्रभाग प्रमुख या समतुल्य।

(5) बहु कर्मचारी वृंद (एमटीएस) (तत्कालीन समूह-'घ')	सहायक महानिदेशक (प्रशासन) या सहायक पोस्टमास्टर जनरल (स्टाफ) या सहायक निदेशक (स्टाफ) या उप निदेशक (स्टाफ) या प्रभाग प्रमुख या ज्येष्ठ पोस्टमास्टर या उप प्रभाग प्रमुख या यूनिट प्रमुख (उच्च चयन ग्रेड-II या उच्च चयन ग्रेड I या उच्च चयन ग्रेड (गैर-कार्यात्मक ग्रेड) या समतुल्य।	सहायक महानिदेशक (प्रशासन) या सहायक पोस्टमास्टर जनरल (स्टाफ) या सहायक निदेशक (स्टाफ) या प्रभाग प्रमुख या ज्येष्ठ पोस्टमास्टर या समतुल्य।	सभी (छोटी और बड़ी)	निदेशक (प्रशासन) या निदेशक डाक सेवाएं (मुख्यालय) या पोस्टमास्टर जनरल या निदेशक, डाक सेवाएं या प्रभाग प्रमुख या समतुल्य।
		उप प्रभाग प्रमुख या यूनिट प्रमुख (उच्च चयन ग्रेड I या उच्च चयन ग्रेड (गैर-कार्यात्मक ग्रेड)	नियम 11 के खंड (i) से (iv) में विनिर्दिष्ट छोटी शास्तियां	प्रभाग प्रमुख या समतुल्य।
(6) सभी बहु कर्मचारी वृंद (एमटीएस) (तत्कालीन समूह-'घ') [सिविल या इलेक्ट्रिकल विंग के लिए]	संबद्ध अधीक्षण अभियंता या कार्यकारी अभियंता।	संबद्ध अधीक्षण अभियंता या कार्यकारी अभियंता।	सभी (छोटी और बड़ी)	मुख्य अभियंता या अधीक्षण अभियंता
		संबद्ध अधीक्षण अभियंता या कार्यकारी अभियंता।	नियम 11 के खंड (i) से (iv) में विनिर्दिष्ट छोटी शास्तियां	मुख्य अभियंता या अधीक्षण अभियंता
(7) सभी बहु कर्मचारी वृंद (एमटीएस) (तत्कालीन समूह-'घ') [महाप्रबंधक (वित्त) या निदेशक लेखा (डाक) के कार्यालय हेतु]	निदेशक लेखा (डाक) या उप निदेशक लेखा (डाक)	निदेशक लेखा (डाक) या उप निदेशक लेखा (डाक)	सभी (छोटी और बड़ी)	महाप्रबंधक (वित्त) या निदेशक लेखा (डाक)
		निदेशक लेखा (डाक) या उप निदेशक लेखा (डाक)	नियम 11 के खंड (i) से (iv) में विनिर्दिष्ट छोटी शास्तियां	महाप्रबंधक (वित्त) या निदेशक लेखा (डाक)।"।

[फा. सं. Y-43/9/2024-PE-II-DOP]

दुष्यंत मुद्गल, उप महानिदेशक

टिप्पण: मूल आदेश, भारत के राजपत्र के भाग-2, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का. आ. 2454, तारीख 27 अगस्त, 1990 द्वारा प्रकाशित किया गया था और अंतिम बार संख्यांक का. आ. 3104, तारीख 26 सितंबर, 2012 *द्वारा* संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Posts)

ORDER

New Delhi, the 30th October, 2026.

S.O.5928(E).— In pursuance of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 9, clause (b) of sub-rule (2) of rule 12 and sub-rule (1) of rule 24 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, the President hereby makes the following amendments further to amend the Order of Government of India in the Ministry of Communications, Department of Posts, number S.O. 2454, dated the 27th August, 1990 (hereinafter referred to as the said order), published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section(ii), vide dated the 15th September,1990 namely : —

In the said order, in the Schedule, for Part-I and Part II, the following shall be substituted, namely : —

"PART I – GENERAL CENTRAL SERVICES, GROUP 'B', GAZETTED OR NON–GAZETTED

Description of Posts.	Appointing Authority.	Authorities competent to impose penalties and penalties which it may impose (with reference to item number in rule 11 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965).		Appellate Authority.
		Authority	Penalties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1) Postal Service Group 'B'.	Director General Postal Services.	Director General Postal Services.	All (Minor and Major).	President.
		Member (Personnel), Postal Services Board or Head of Circle or equivalent.	Minor penalties specified in clauses (i) to (iv) of rule 11.	Director General Postal Services.
(2) All Posts (Group 'B', Gazetted) except Postal Service Group 'B'.	Head of Circle.	Member (Personnel), Postal Services Board or Head of Circle or equivalent.	All (Minor and Major).	Director General Postal Services or Member (Personnel), Postal Services Board.
		Deputy Director General (Personnel) or Director Postal Services (Headquarter) or Postmaster General or Director Postal Services or equivalent.	Minor penalties specified in clauses (i) to (iv) of rule 11.	Member (Personnel), Postal Services Board or Head of Circle or equivalent.
(3) GROUP 'B', NON – GAZETTED.	Director Postal Services (Headquarter).	Deputy Director General (Personnel) or Director Postal Services (Headquarter) or Postmaster General or Director Postal Services) or equivalent.	All (Minor and Major).	Member (Personnel), Postal Services Board or Head of Circle or equivalent.
		Assistant Director General (Staff Postal Non-Gazetted (SPN)) or Assistant Director (Staff) or Assistant Postmaster General (Staff) or Head of Division or Head of Independent Unit or equivalent.	Minor penalties specified in clauses (i) to (iv) of rule 11.	Deputy Director General (Personnel) or Director Postal Services (Headquarter) or Postmaster General or

				Director Postal Services or equivalent.
(4) All Posts (Group 'B', Gazetted) except Postal Service Group 'B' [FOR CIVIL OR ELECTRICAL WING].	Chief Engineer concerned.	Chief Engineer concerned.	All (Minor and Major).	Member Concerned.
		Superintending Engineer.	Minor penalties specified in clauses (i) to (iv) of rule 11.	Chief Engineer Concerned.
(5) GROUP 'B', NON – GAZETTED [FOR CIVIL OR ELECTRICAL WING].	Superintending Engineer Concerned.	Superintending Engineer Concerned.	All (Minor and Major).	Chief Engineer Concerned.
		Executive Engineer Concerned.	Minor penalties specified in clauses (i) to (iv) of rule 11.	Superintending Engineer Concerned.

PART II – GENERAL CENTRAL SERVICES, GROUP 'C'.

Description of Post.	**Appointing Authority.**	**Authorities competent to impose penalties and penalties which it may impose (with reference to item number in rule 11 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965).**		**Appellate Authority.**
		Authority	**Penalties**	
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
(1) GROUP 'C' [including Lower Selection Grade (LSG)].	Head of Division or Assistant Postmaster General (Staff) or Assistant Director (Staff) or equivalent.	Assistant Director General (Staff Postal Non-Gazetted (SPN) or Head of Division or Assistant Postmaster General (Staff) or Assistant Director (Staff) or Sr. Postmaster or equivalent.	All (Minor and Major).	Director Postal Services (Headquarter) or Postmaster General or Director Postal Services or equivalent.
(2) GROUP 'C' [FOR CIVIL OR ELECTRICAL WING].	Superintending Engineer or Executive Engineer Concerned.	Superintending Engineer or Executive Engineer Concerned.	All (Minor and Major).	Chief Engineer or Superintending Engineer.
		Superintending Engineer or Executive Engineer Concerned.	Minor penalties specified in clauses (i) to (iv) of rule 11.	Chief Engineer or Superintending Engineer.
(3) GROUP 'C' [FOR OFFICE OF GENERAL MANAGER (FINANCE) OR DIRECTOR OF ACCOUNTS (POSTAL)].	Director of Accounts (Postal) or Deputy Director of Accounts (Postal).	Director of Accounts (Postal) or Deputy Director of Accounts (Postal).	All (Minor and Major).	General Manager (Finance) or Director of Accounts (Postal).
		Accounts Officer.	Minor penalties specified in clauses (i) to (iv) of rule 11.	General Manager (Finance) or Director of Accounts (Postal).
(4) Postman and Mail guard.	Head of Division or equivalent.	Head of Division or Sr. Postmaster or equivalent.	All (Minor and Major).	Director Postal Services (Head Quarter) or Postmaster General or Director Postal Services or equivalent.
		Head of Sub Division or Head of Unit (Higher Selection Grade I or Higher Selection Grade (Non-Functional Grade).	Minor penalties specified in clauses (i) to (iv) of rule 11.	Head of Division or equivalent.

(5) All Multi-Tasking Staff (MTS) (Erstwhile Group 'D').	Assistant Director General (Administration) or Assistant Postmaster General (Staff) or Assistant Director (Staff) or Deputy Director (Staff) or Head of Division or Sr. Postmaster or Head of Sub Division or Head of Unit (Higher Selection Grade- II or Higher Selection Grade I or Higher Selection Grade (Non-Functional Grade) or equivalent.	Assistant Director General (Administration) or Assistant Postmaster General (Staff) or Assistant Director (Staff) or Head of Division or Sr. Post Master or equivalent.	All (Minor and Major).	Director (Administration) or Director Postal Services (Head Quarter) or Postmaster General or Director Postal Services or Head of Division or equivalent.
		Head of Sub Division or Head of Unit (Higher Selection Grade I or Higher Selection Grade (Non-Functional Grade).	Minor penalties specified in clauses (i) to (iv) of rule 11.	Head of Division or equivalent.
(6) All Multi-Tasking Staff (MTS) (Erstwhile Group 'D') [FOR CIVIL OR ELECTRICAL WING].	Superintending Engineer or Executive Engineer Concerned.	Superintending Engineer or Executive Engineer Concerned.	All (Minor and Major).	Chief Engineer or Superintending Engineer.
		Superintending Engineer or Executive Engineer Concerned.	Minor penalties specified in clauses (i) to (iv) of rule 11.	Chief Engineer or Superintending Engineer.
(7) All Multi-Tasking Staff (MTS) (Erstwhile Group 'D') [FOR OFFICE OF GENERAL MANAGER (FINANCE) OR DIRECTOR OF ACCOUNTS (POSTAL)].	Director of Accounts (Postal) or Deputy Director of Accounts (Postal).	Director of Accounts (Postal) or Deputy Director of Accounts (Postal).	All (Minor and Major).	General Manager (Finance) or Director of Accounts (Postal).
		Director of Accounts (Postal) or Deputy Director of Accounts (Postal).	Minor penalties specified in clauses (i) to (iv) of rule 11.	General Manager (Finance) or Director of Accounts (Postal).".

[F. No. Y-43/9/2024-PE-II-DOP]

DUSHYANT MUDGAL, Dy. Director General

Note: The Principal order was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 15th September, 1990, vide number S.O. 2454, dated the 27th August, 1990 and last amended *vide* number S.O. 3104, dated the 26th September, 2012.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

VINOD KUMAR Digitally signed by VINOD KUMAR Date: 2026.11.02 16:54:28 +05'30'